भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Phone ✆: 2661263,2737446 Fax: 2737446
Website:www.bsgmp.net E_mail:scoutguide_bpl@dataone.in

पत्र0क्र0/5154/रा0मु0/परि0/2010 भोपाल, दिनांक. 01.12.10

प्रति,

01. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का0/गा0)

02. जिला संगठन आयुक्त स्का0/गा0
संभागीय कार्यालय------------।

विषयः- शिविरो हेतु प्राप्त राशि का लेखा संधारण।

--00--

यह देखने में आया हैं, कि इस कार्यालय से सहायक राज्य संगठन आयुक्तों को विभिन्न प्रकार के शिविरों के आयोजन के लिये राशि दी जाती हैं जिसे वे विभिन्न अधिकारियो/जिला संगठन आयुक्तों को नगद अग्रिम प्रदाय करते हैं। एवं जिला संगठन आयुक्त उस राशि का लेखा केश बुक में संधारित नहीं करते जिससे भविष्य में लेखा आपत्ति हो सकती हैं, एवं लेखा को मिलान करने में भी कठिनाई आ सकती हैं।

2. **इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-**

(1) सहायक राज्य संगठन आयुक्त जो भी राशि शिविरों के आयोजन हेतु जिला संगठन आयुक्त या अन्य पदाधिकारियों को देते हैं। वह चेक अथवा ड्रॉफ्ट के रूप में ही दिया जायें।

(2) जिला संगठन आयुक्त उन प्राप्त चेक/ड्रॉफ्ट की राशि को केश बुक में आमद दर्शायेगें एवं राशि का व्यय भी केश बुक में संधारित करें।

(3) राज्य मुख्यालय से पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार संस्थाओं/प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त शिविर शुल्क, विकास शुल्क आदि का लेखा-जोखा शिविर केश बुक (जो अलग से निर्धारित करने के निर्देश दिये गये थें) में राशि का आमद व्यय का लेखा संधारित किया जायें।

(4) शिविर आयोजन के पश्चात 3 दिन के अन्दर लेखा हिसाब शिविर संचालक/जिला संगठन आयुक्त, द्वारा सहायक राज्य संगठन आयुक्त को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें एवं सहायक राज्य संगठन आयुक्त उन्हें प्राप्त हिसाब एक सप्ताह के अन्दर राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करायेगें।

(5) शिविर प्रारम्भ होते ही शिविर में उपस्थित शिविरार्थियों की संख्या शिविर संचालक प्रथम दिन ही दूरभाष पर सहायक राज्य संगठन आयुक्त एवं राज्य मुख्यालय को सूचित करेंगें एवं उसी तिथि को सहायक राज्य संगठन आयुक्त द्वारा राज्य

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

मुख्यालय में राज्य सचिव या परियोजना संचालक या राज्य संगठन आयुक्त (स्का0/गा0) या राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्का0/गा0) को सूचित करना अनिवार्य होगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश

पृ0क0/5155/रा0मु0/परि0/2010 भोपाल, दिनांक 01.12.10

प्रतिलिपिः–

01. सहायक आयुक्त आदिवारी विकास पदेन जिला कमिश्नर (स्का0)------------------- को सूचनार्थ।
02. जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला कमिश्नर (स्का0) ------------------------ को सूचनार्थ।
03. राज्य संयुक्त सचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी राज्य मुख्यालय, भोपाल।
04. राज्य संगठन आयुक्त (स्का0/गा0) राज्य मुख्यालय, भोपाल को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्का0/गा0) राज्य मुख्यालय, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. लेखाधिकारी, राज्य मुख्यालय, भोपाल।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com